663/96
3-2-97

XXX-Part.—21

रूप क्रमांक २
(देखिये नियम ७)

मध्यप्रदेश शासन

समिति का पंजीयन प्रमाणपत्र

क्रमांक .... उ.सं./1461

यह प्रमाणित किया जाता है कि सदगुरू कबीर स्मारक सेवा समीति,

समिति जो ग्राम ढन्याखेडी पोस्ट कनासिया, तहसील तराना;

जिला उज्जैन में स्थित है, मध्यप्रदेश

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (सन् १९७३ का क्रमांक ४४)

के अधीन 3/2/97 को पंजीयित की गई है।

दिनांक तीन माह फरवरी सन् १९९7

3/2/97
आलोक नागर
असि. रजिस्ट्रार
समितियों के रजिस्ट्रार

GRPRJ—FS/56—11/92—20,000.

xxx-क्र॰-23

प्रारूप क्रमांक 1

समितियों के पंजीयन हेतु ज्ञापन -पत्र

(देखिये नियम - 3 -)

(1) समिति का नाम:- सदगुरू कबीर स्मारक सेवा समिति होगा।

(2) समिति का कार्यालय :- ग्राम लुन्याखेडी पोस्ट कनासिया तहसील तराना जिला उज्जैन म०प्र० मे स्थित होगा

(3) समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होगें :-

(1) मानव मात्र में सदगुरू कबीर के सिद्धान्तों के द्वारा हर इन्सान में आध्यात्मिक धार्मिक सांस्कृति सामाजिक शैक्षिक उन्नति के लिये प्रयासरत रहना।

(2) हर पूर्णिमा को सत्संग भजन विचारगोष्ठी प्रवचन व्याख्यानमाला का आयोजन करवाना साधू सन्त के प्रवचन गुरू पूजा का आयोजन करना ताकि आत्मज्ञान व आत्मिक शान्ति मिले

(3) साहब कबीर के भजनों के माध्यम से मानव समाज में व्याप्त दुष्प्रवृतीयों दुराचारों मिथ्याचार आदि संकीर्णता से मुक्त करवाना म जैसे शराब मांस व नशे से मुक्त करवाना

(4) अंध विश्वास रूढ़ि साम्प्रदायिकता को दूर कर शिक्षा व लोक संगीत की जिज्ञासा बढ़ाना। जो ज्ञापन पत्र में अंकित है वही लिखें।

(4) समिति के प्रबन्ध विनियमों द्वारा समिति के कार्यों का प्रबन्ध शासक परिषद संचालक सभा या शासी निकाय को सौंपा गया है जिनके नाम व पते तथा धन्धों को निम्नांकित है :-

क्रमांक	नाम	पद	पता	धन्धा
(1)	प्रहलाद सिंह आत्माराम जी टीपान्या	अध्यक्ष	ग्राम लुन्याखेडी पो॰ कनासिया तहसील तराना जिला उज्जैन	नौकरी
(2)	तेजूलाल सेवाराम यादव	उपाध्यक्ष	ग्राम पिपलिया काली तलाई पो॰ समुराखेडा तह॰ तराना जिला उज्जैन.	कृषि
(3)	अशोक कुमार आत्माराम सोलंकी	कोषाध्यक्ष	ग्रा॰लुन्याखेडी पो॰ कनासिया तह॰ तराना जि॰ उज्जैन	कृषि
(4)	अजय कुमार प्रहलादसिंह टीपान्या	सचिव	-"- -"-	-"-
(5)	रतनलाल पेमजी नागरिया	सदस्य	-"-	-"-
(6)	मांगीलाल ओंकारजी मालवीय	-"-	ग्राम दोन्दार्या तहसील तराना	-"-
(7)	शान्ति देवी प्रहलादसिंह टीपान्या	-"-	ग्रा॰ लुन्याखेडी पो कनासिया	घरेलु का

(5) समिति के इस ज्ञापन पत्र के साथ समिति के विनियमो की एक प्रमाणित प्रति जैसा म॰ प्र॰ सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (1973 का 44) की धारा 5 की

पंजीयक फर्म्स एवं संस्थायें उज्जैन संभाग उज्जैन आ.क्र. दि. 21/

उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित है, संलग्न है ।

हम अनेक व्यक्ति जिनके नाम और पते नीचे लिखे है, समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन पत्र के अनुसार करने के इच्छुक है तथा ज्ञापन पत्र पर निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये है ।

क्रमांक (1)	निर्माणकर्ताओं के नाम पते (2)	हस्ताक्षर (3)
(1)	प्रहलादसिंह आत्माराम जी टिपान्या लून्याखेड़ी उज्जैन म0प्र0	[signature]
(2)	तेजूलाल सेवाराम यादव पिपलिया काली तलाई उज्जैन	तेजूलाल यादव
(3)	अशोक कुमार आत्मारामजी सोलंकी ग्रा. लून्याखेड़ी उज्जैन	[signature]
(4)	अजय कुमार प्रहलादसिंह टिपान्या ग्रा. लून्याखेड़ी उज्जैन	[signature]
(5)	रतन लाल चेनाजी नागरिया ------"------	द- रतनलाल
(6)	मांगी लाल ओंकारजी मालवीय ग्रा. दोन्ता जि. देवास	मांगीलाल मालवीय
(7)	शांति देवी प्रहलादसिंह टिपान्या ग्रा. लून्याखेड़ी जि. उज्जैन	शांतिदेवी

जो अनावश्यक हो उसे काटिये ।

साक्षी

हस्ताक्षर [signature]

नाम सुरेश कुमार योगी

पता गांव काफी पो. तराना

जिला उज्जैन म.प्र.

जीआरपा।आरजे-एफएस/620--16-3-83-20,000

[signature] कोषाध्यक्ष

[signature] सचिव

[signature] अध्यक्ष

उन्नीस (क)/पंजी.क्र. 56 नियमावली

(1) संस्था का नाम "सदगुरू कबीर स्मारक सेवा समीति" होगा ।

(2) संस्था का कार्यालय लून्याखेड़ी म.नं. कबीर नगर मोहल्ले का नाम - पोष्ट कनासिया तहसील तराना जिला उज्जैन मध्य प्रदेश ।

(3) संस्था का कार्यक्षेत्र मालवान्चल मध्यप्रदेश ~~सीमारत~~ में

(4) संस्था का उद्देश्य:- (1) मानव मात्र में सदगुरू कबीर के सिद्धांतों के द्वारा हर ईन्सान में अध्यात्मि, धार्मिक, सांस्कृति सामाजि. शैक्षणिक उन्नति के लिये प्रयासरत रखना ।

(2) हर पूर्णिमा को सत्संग भजन विचारगोष्ठी प्रवचन व्याख्यानमाला का आयोजन करवाना साधू संत के प्रवचन गुरू पूजा का आयोजन करना ताकि आत्मज्ञान व आत्मि शांति मिले ।

(3) साहब कबीर के भजनों के माध्यम से मानव समाज में व्याप्त दुष्प्रवृतियाँ दुराचरणो मित्याव्हार आ: संकीर्णता से मुक्त करवाना (जैसे शराब, मांस व नशे से मुक्त करवाना)

(4) अंधविश्वास रूढ़ि साम्प्रदायिकता को दूर कर शिक्षा व लोक संगीत की जिज्ञासा बढ़ाना ।

(जो ज्ञापन पत्र में अंकित है वही लिखें)

(5) सदस्यता :- संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होगें ।

(अ) संरक्षण सदस्य :-- संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रूपये 1200/- या अधिक एक मुस्त या एक साल में बारह किश्तो में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा ।

(ब) आजीवन सदस्य :- जो व्यक्ति संस्था के दान के रूप में रूपये 1000/- या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा । कोई भी आजीवन सदस्य रूपये 200/- या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है ।

(स) साधारण सदस्य :- जो व्यक्ति रूपये 25/- प्रति माह रूपये 300/-प्रति वर्ष संस्था को चन्दे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा । साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिये उसने चन्दा दि है जो साधारण सदस्य बिना सन्तोषजनक कारणों के छ: माह तक देय चन्दा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी । ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चन्दे की राशि देने पर पुन: सदस्य बनाया जा सकता है ।

(द) सम्मानीय सदस्य:-- संस्था की प्रबन्धकारणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों

11211

अध्यक्ष

सचिव

को.अध्यक्ष

को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझें सम्मानीय सदस्य बना सकती है ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते है परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा ।

§6§ सदस्यता की प्राप्ती :-- प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा । ऐसा आवेदन पत्र प्रबन्धकारणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा ।

§7§ सदस्यों की योग्यता :-- संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्न लिखित योग्यता होना आवश्यक है:--

§1§ आयु 18 वर्ष से कम न हो । §2§ भारतीय नारिक हो । §3§ समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो । §4§ सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो ।

§8§ सदस्यता की समाप्ति:-- संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी :--

§1§ मृत्यु हो जाने पर §2§ पागल हो जाने पर §3§ संस्था को देय चन्दे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर=§4=§

§4§ त्यागपत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर §5§ चरित्रक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी ।

§9§ संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जायेंगे

§1§ प्रत्येक सदस्य का नाम पता तथा व्यवसाय

§2§ वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नं.

§3§ वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त हुई हो ।

§10§ §अ§ साधारण सभा:-- साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होगें । साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी । परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी । बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी । बैठक का कोरम 2/3 सदस्यों का होगा । संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी । उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्ग. दर्शन में एवं पदाधिकारीयों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा ।

§ब§ प्रबन्धकारिणी सभा:-- प्रबन्धकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथ बैठक का एजेन्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी

कोषाध्यक्ष   सचिव   अध्यक्ष

//3//

के प्रत्येक सदस्य को भजी जाना आवश्यक होगी । बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी । यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घण्टे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न होगी ।

(ब) विशेष :– यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिये साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी । विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 14 दिन के भीतर भेजा जावेगा । पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति का परामर्श देने का अधिकार होगा ।

(11) साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य:—(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना । (ख) संस्था की स्थाई निधि व संपत्ति की ठीक व्यवस्था करना । (ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षको की नियुक्ति करना । (घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबन्धकारणी द्वारा प्रस्तुत हो । (च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय व्यय पत्रको को स्वीकृत करना म (छ) बजट का अनुमोदन करना ।

(12) प्रबन्धकारिणी का गठन :-- ट्रस्टीज यदि कोई हो समिति के पदेन समिति के पदेन सदस्य रहेंगे । नियम 5 (अ, ब, स,) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा ।

(1) अध्यक्ष, (2) उपाध्यक्ष, (3) सचिव (4) कोषाध्यक्ष (5) सदस्य 3

(13) प्रबन्ध समिति का कार्यकाल:-- प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा समिति का यथेष्टा कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबन्धकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नही हो सकता, करती रहेगी किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा ।

(14) प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य:-- (अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना ।

15 (ब) पिछले वर्ष का आय व्यय का लेख पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना ।

(स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना । संस्था की चल अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना ।

(द) कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना ।

//4//

कोषाध्यक्ष   सचिव   अध्यक्ष

(ई) अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय समय पर सौपे जाए ।

(च) संस्था की समस्त चल अचल संपत्ति कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी

(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आन्तरिक नहीं की जाएगी ।

(ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगा । साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा ।

(15) अध्यक्ष के अधिकार:— अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा । अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा ।

(16) उपाध्यक्ष के अधिकार :-- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा । अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा ।

(17) सचिव (मंत्री) के अधिकार:-- (1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना । (2) समिति का आय व्यय का लेख परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना । (3) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना । उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना । (4) सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रुपये 200/- करने का अधिकार होगा ।

(18) कोषाध्यक्ष के अधिकार:- समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना ।

(19) बैंक खाता :-- संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में रहेगी । धन का आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा । दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रुपये 200/- रहेगें ।

(20) पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी :-- अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 14 दिन के भीतर निर्धारित प्रारुप पर कार्यकारिणी की सूची फाइल की जायेगी । तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था को परीक्षित लेखा भेजेगी ।

(21) संशोधन:-- संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतो से पारित होगा यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फार्म्स एवं संस्थाओं को

होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा ।

§22§ बिघटन:-- संस्था का बिघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल संपत्ति किसी समान्य उद्देश्यों वाली संस्थाको शौप दी जावेगी । उक्त समस्त कार्य वाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी ।

§23§ सम्पत्ति:- संस्था की समस्त चल तथा अचल संपत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल संपत्ति §स्थावर§ रंजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थायें का लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अन्तरित नहीं की जा सकेगी ।

§24§ बैंक खाता :-- संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोष्टआफिस में खोला जावेगा एवं समय-समय धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी ।

§25§ पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना:-- संस्था की पंजीयक नियमावली के अनुसार पदाधिकारीयों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाये जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थायें की बैठक बुलाये जाने का अधिकार होगा । साथ ही ये बैठक विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा ।

§26§ विवाद:-- संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा के अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा । यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षो को सन्तोष न हो तो वे रजिस्ट्रार को ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेंगें । रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा । संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबन्ध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा ।

सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा ।

§1§ अध्यक्ष:- [signature]

§2§ सचिव :- [signature]

§3§ कोषाध्यक्ष :- [signature]